मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

" तालीम घर " इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2022/ 27 भोपाल, दिनांक 19-01-2022

प्रति,

समस्त मदरसा प्रबंधक,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण संबंधी प्रक्रिया की जानकारी एवं दिशा-निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर दिनांक 01,फरवरी 2022 से उपलब्ध कराई जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में इस वर्ष से कुछ आंशिक संशोधन किये गये जो निम्नानुसार है-

1. बोर्ड द्वारा इस वर्ष से मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदरसों के संचालन सत्यापन की पुष्टि हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशंसित निरीक्षण प्रतिवेदन की मूल प्रति ऑनलाईन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ बोर्ड में अनिवार्यतः जमा करना होगी। इसके प्राप्त होने के पश्चात ही बोर्ड द्वारा नवीनीकरण के आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा।
2. मदरसों से यू-डाईस की जानकारी के अंतर्गत शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड मदरसे के यू-डाईस की प्रमाणित प्रति जिसमें मदरसे का नाम एवं यू-डाईस कोड स्पष्ट अंकित हो, उसे बोर्ड में अनिवार्यतः जमा करना होगा।
3. मदरसा द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल पर मेप कराये गये विद्यार्थियों की सूची बोर्ड में अनिवार्यतः जमा करना होगी। उस सूची के आधार पर ही मदरसा में अध्यनरत विद्यार्थियों की जानकारी बोर्ड के रिकार्ड में संधारित की जाएगी एवं समय-समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. आवेदन के पात्र मदरसों की श्रेणी व शुल्क विवरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है-

   4.1 शिक्षा सत्र 2019 से 2022 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को सामान्य मदरसों की श्रेणी में रखा गया है एवं इससे पूर्व के वह मदरसे जो किन्ही कारणों से सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में आवेदन नही कर सके और कोविड-19 के संक्रमण की महामारी के कारण शिक्षा सत्र 2020-21एवं 2021-22 में भी पोर्टल पर सुविधा नही मिलने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गये उन मदरसों को भी गेप श्रेणी में रखा जाकर आवेदन करने की पात्रता प्रदान की गई है। इन मदरसों को वर्ष 2019 से 2025 तक का नवीनीकरण जारी किया जाएगा।

   4.2 मान्यता नवीनीकरण का श्रेणीवार शुल्क एवं अवधि विवरण इस प्रकार है-

आवेदन का प्रकार	निधारित शुल्क	जारी मान्यता की अवधि
सामान्य आवेदन	रू. 3000/-	शिक्षा सत्र 2022 से 2025 तक
गेप अवधि सहित आवेदन	रू. 6000/-	शिक्षा सत्र 2019 से 2025 तक

   नोट- इसमें पोर्टल शुल्क एवं कक्षा स्तर वृद्धि शुल्क सम्मिलित नही है।

5. मदरसे को ऑनलाईन आवदेन से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करना होंगे-

   5.1 मदरसे के निरीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप की प्रति पोर्टल से प्राप्त कर उसके अनुसार जानकारियां तैयार करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा प्राप्त कर प्रतिवेदन की मूल प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना होगी।

   5.2 यू-डाईस पुस्तिका की प्रति डाउनलोड कर मदरसे की सील व अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर तैयार रखना होगी जिसे ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया जाएगा एवं उस प्रति को आवेदन के साथ हार्ड-कॉपी में संलग्न कर बोर्ड में भेजना होगी।

   5.3 समग्र शिक्षा पोर्टल पर मेप मदरसे के विद्यार्थियों की कक्षावार सूची डाउनलोड कर मदरसे की सील व अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर तैयार करना होगा जिसे ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया जायेगा।

   5.4 रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज़ के अधीन पंजीकृत समिति की **धारा-27 की नवीनतम अनुमोदित सूची की प्रति** अथवा बोर्ड में पंजीकृत समिति के वैद्य कार्यकाल का पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति अथवा समिति नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन की प्रति जमा करना होगी।

दूरभाष : परीक्षा कक्ष : 0755-2737362, मदरसा कक्ष: 0755-2735931, स्थापना : 0755-2731437, वेबसाइट: www.mpmb.org.in, ई मेल: mpmadarsaboard@gmail.com

5.5 मदरसा भवन किराये का हो तो किराया-नामा (वैद्य), अथवा निजी हो तो केवल बिजली का बिल आवेदन के साथ जमा करना होगा।

5.6 मदरसे का बोर्ड सहित फोटो जिसमें मदरसे का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो जमा करना होगा। बोर्ड के विवरण का लेख मदरसे को पूर्व में जारी मान्यता प्रमाण-पत्र के पीछे किया गया है उसके अनुसार मदरसे का बोर्ड तैयार करें जिसे निरीक्षणकर्ता द्वारा भी जांचा जाएगा।

5.7 मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष का आधार-कार्ड व मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।

6. अन्य दिशा-निर्देश इस प्रकार है-

6.1 मदरसे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/तबदीली तभी मान्य होगा जब वह निर्णय मदरसा प्रबंध समिति में पारित होगा और बोर्ड को इसकी विधिवत् सूचना उसी दौरान दी गई होगी।

6.2 शिक्षा सत्र 2016 से बोर्ड द्वारा मदरसे का नवीनीकरण 3 सत्रों के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में बोर्ड द्वारा मदरसे की कक्षा स्तर वृद्धि एक साथ साथ जारी की जाती है लेकिन मदरसा प्रति सत्र केवल 1 ही कक्षा की वद्धि कर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा।

6.3 मदरसा मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में अधिसूचित है और बोर्ड इस सेवा से प्राप्त आवेदन पर एक निश्चित अवधि में कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है अतः ऑनलाईन आवेदन पश्चात उसकी हार्ड-कॉपी सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित अविलम्ब बोर्ड में जमा करने का दायित्व मदरसे का रहेगा।

6.4 मदरसे से संपर्क हेतु मदरसा संचालक/अध्यक्ष अपना ही मोबाईल नम्बर आवेदन में डालें जिससे समय-समय पर मदरसे से संबंधित जानकारी हेतु SMS भेजा जा सके अथवा सपंर्क किया जा सके।

अतः संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर आवेदन करने की सुविधा दिनांक **01/02/2022 से 15/03/2022 तक** उपलब्ध कराई जा रही है, मदरसा संचालक इस अवधि में ही आवेदन करना सुनिश्चित करें।

(एस.एस.एच.रिज़वी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण एवं सचिव,
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपिः-

पृ.क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2022/ भोपाल, दिनांक......................

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कार्यक्रम की सूचना का प्रचार-प्रसार अपने जिले के लोक प्रिय समाचार पत्र के माध्यम से करायें एवं अपने अधीन समस्त संकुल केन्द्र प्राचार्यो, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं मदरसा प्रभारियों को इस कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करायें। तद्‌नुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत् करायें।

sd/-
(एस.एस.एच.रिज़वी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण एवं सचिव,
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल